



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2002/वैशाख 16, 1924

No. 95]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2002/VAISAKHA 16, 1924

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2002

सं. 3940.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (19) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 कहा जाएगा।
 - (2) इन विनियमों में, जैसा कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में,—

(i) विनियम 4 में उप विनियम (3), के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) 1 अप्रैल, 1998 से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

(क) सर्वोच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII 19340 रु.-420-20180-520-20700-600-21300
2 1 1

वेतनमान VI 17660 रु.-420-19340
4

(ख) वरिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी:

वेतनमान V 16140 रु.-380-17660
4

वेतनमान IV 13900 रु.-340-14240-380-16140
1 5

(ग) मध्यम प्रबन्ध श्रेणी

वेतनमान III 12540 रु.-340-14240-380-15000
5 2

वेतनमान II 9820 रु.-340-13560
11

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी:

वेतनमान 1 7100 रु.-340-12540
16

टिप्पणी:

प्रत्येक अधिकारी, जो 31.3.1998 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, को 1.4.1998 के अनुसार इस उपविनियम में निश्चित किए गए वेतनमान में स्टेज से स्टेज आधार पर अर्थात् संबंधित वेतनमानों में पहली स्टेज के बाद तदनुसूची स्टेजों पर फिट किया जाएगा तथा वेतनवृद्धियां अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, सामान्यतया वार्षिक तारीख को देय होंगी।

(4) उपविनियम (1), (2) और (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेडों में अधिकारियों को रखना अपेक्षित है।

(ii) विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5 **वेतनवृद्धियां**- (1) विनियम 4 के उप-विनियम (3) के प्रावधानों के अध्यक्षीन दिनांक 1.4.1998 को या उसके बाद से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप-खण्डों के अध्यक्षीन दी जाएंगी :-

(क) विनियम 4 के उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यक्षीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी जिस तारीख को ये देय होती हैं।

(ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के बाद अगले उच्चतर वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यां) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में वर्णित आधार पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएंगी, बशर्ते के वे अवरोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्यम प्रबन्धन में वेतनमान II और III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को यथा स्थिति, वेतनमान II और III की अंतिम स्टेज पर पहुंचने के बाद प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएगी। वेतनमान II की अंतिम स्टेज पर पहुंचने वाले अधिकारियों के मामले में 340/- रु की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और वेतनमान III की अंतिम स्टेज पर पहुंचने वाले अधिकारियों के मामलों में 380/- रु की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परन्तु , 1.11.1994 और उसके बाद मूल वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं , पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी:

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को , यथास्थिति , उसके अपने मूल पद के वेतनमान I और II के ही विशेषाधिकार , परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलते रहेंगे ।

- (2) भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित /जूनियर एसोसिएट भाग I या प्रमाणपत्रित एसोसिएट भाग II की प्रमाणित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक भाग के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण:

(क) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का भाग I और II उत्तीर्ण कर लिया हो , उसे नियत तारीख से यथास्थिति , अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्त कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो ।

(ख) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते , सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन , यदि कोई हो , सीएआइआइबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक भत्ता दिया जाएगा :

जिन्होंने सीएआइआइबी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है ।	(i) एक वर्ष पश्चात् 100/-₹ प्रतिमाह जिसमें से 75 /-₹ अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
जिन्होंने सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं।	(i) एक वर्ष पश्चात् 100/-₹ प्रतिमाह जिसमें से 75 /-₹ अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे । (ii) दो वर्ष पश्चात् 250/-₹ प्रतिमाह जिसमें से 200 /-₹ अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।

(ग) 1.11.1994 को और उसके बाद से अन्य बातें समान होने पर , व्यावसायिक योग्यता भत्तों की संशोधित मात्रा निम्नानुसार होगी :-

जिन्होंने सीएआइआइबी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 120/-₹ प्रतिमाह।
जिन्होंने सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 120/-₹ प्रतिमाह। (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् 300/-₹ प्रतिमाह।

परन्तु , विनियम 5(3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी , यथास्थिति , क्रमशः भाग I या भाग II के लिए यह नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के एक / दो वर्ष बाद व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) 1.11.1999 को और उसके बाद से अन्य बातें समान होने पर , व्यावसायिक योग्यता वेतन की संशोधित मात्रा निम्नानुसार होगी :-

जिन्होंने जेएआईआईबी या सीएआइआइबी का भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 150/-₹ प्रतिमाह।
जिन्होंने जेएआईआईबी तथा सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 150/-₹ प्रतिमाह। (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् 360/-₹ प्रतिमाह।

परन्तु , जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं और जिन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे वेतनवृद्धियां दी गई हैं , उन्हें यथास्थिति व्यावसायिक योग्यता वेतन उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक/दो वर्ष बाद प्राप्त होगा।

टिप्पणी

- (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी के जिसे व्यावसायिक योग्यता वेतन मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जेएआईआईबी/सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक योग्यता वेतन पाने का पात्र होगा।

- (ii) 1.11.1994 को तथा उसके बाद से व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।
- 3(क) जो अधिकारी 1.11.1993 को बैंक की स्थायी सेवा में है उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी । जो अधिकारी 1.11.1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी ।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

- (ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 1.11.1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर चुका है वह 1.11.1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 1.11.1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा । यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरूद्ध कर दिया जाएगा ।

वेतनवृद्धि घटक	1.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
₹	₹	₹
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (ग) 1 नवम्बर, 1999 को तथा इसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन मकान किराया भत्ते, यदि कोई हो, सहित निम्नानुसार होगा :-

वेतनवृद्धि घटक	1.11.1997 को मंहगाई भत्ता	को जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन
(क) ₹	(ख) ₹	(ग) ₹
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

टिप्पणी :

- (i) खण्ड (ख) तथा (ग) के कॉलम (ग) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराये भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उपविनियम (2) तथा (3) में निर्दिष्ट अनुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर (क)+(ख)+ संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।
- (iii) 1 नवम्बर, 1999 को तथा उसके बाद से नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने से संबंधित उप विनियम (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (ग) में दिए गए अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने संबंधी शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

परन्तु यदि व्यावसायिक योग्यता वेतन के भुगतान की कोई किस्त, पूर्व प्रावधानों के कारण, एक वर्ष आगे कर दी गई है और वह 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद देने हेतु नियत की गई है, तो यह अधिकारी को इस तारीख को और से दी जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को दी जाएगी।

- (iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(घ) जिस अधिकारी को ऊपर (क) के अनुसार एक अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर (ख) या (ग) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद प्राप्त होगी।

(iii) विनियम 21 में उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा अर्थात् :

"(3) 1.4.1998 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :-

(क) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 =100 की तिमाही औसत में 1684 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(ख) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :-

- (i) ₹ 7100/- तक "वेतन" का 0.24% घन (+),
- (ii) ₹ 7100/- से ऊपर परन्तु ₹ 11300/- तक "वेतन" का 0.20% घन (+),
- (iii) ₹ 11300/- से ऊपर परन्तु ₹ 12025/- तक "वेतन" का 0.12% घन (+),
- (iv) ₹ 12025/- से ऊपर "वेतन" का 0.06%

टिप्पणी:

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(ख) व्यावसायिक योग्यता भत्ते / व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसाकि विनियम 5(2) के स्पष्टीकरण "अ" तथा 'घ' में वर्णित है, को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।

(iv) विनियम 22 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"22 मकान किराया भत्ता :- (1) (क) 1.11.1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसकी पहली स्टेज के मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।

(ख) 1.11.1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :-

कॉलम I	कॉलम II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "क" वर्ग के नगर तथा समूह "क" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "ख" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10 1/2% प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 9 1/2% प्रतिमाह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान की पहली स्टेज के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150% जो भी कम हो, होगा ।

(2)(क) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसकी पहली स्टेज के मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह 1.11.1999 को या उसके बाद से, निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :-

कॉलम I	कॉलम II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "क" वर्ग के नगर तथा समूह "क" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "ख" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 7% प्रतिमाह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान की पहली स्टेज के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150% जो भी कम हो, होगा।

टिप्पणी: (क) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(ख) व्यावसायिक योग्यता भत्ता /व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा भी मामला हो, को 1.11.1994 से मकान किराया भत्ते के लिए गिना जाएगा।

- (3) यदि अधिकारी अपने मकान में रहता है तो वह उप-विनियम (1)(ख) और 2 (ख) के परन्तुक में यथाउल्लिखित आधार पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा मानो वह नीचे क और ख में से अधिक वाले के बारहवें हिस्से के बराबर रकम मासिक किराये के रूप में अदा कर रहा हो ।

क

इनका कुल योग :-

- i) उस मकान के लिए दिए जाने वाले पालिका कर; और
- ii) भूमि के मूल्य सहित मकान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि वह मकान किसी भवन का एक हिस्सा हो तो उस मकान के लिए लगने वाली भूमि की पूंजीगत लागत का समानुपातिक अंश, विशेष फिक्सचर जैसे एयरकंडीशनर की लागत को छोड़कर, या

ख

मकान के पालिका मूल्य निर्धारण के लिए लगाया गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरण :-

- (1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए "मानक किराए" का अर्थ है :-
 - (क) जिस मकान का स्वामी बैंक है, उसके मामले में वह मकान किराया जो सरकार में प्रचलित हिसाब लगाने की प्रक्रिया के अनुसार बनता हो
 - (ख) जहां निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय सविद्यगत किराया अथवा ऊपर (क) में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार आंका गया किराया जो भी कम हो ।

- (2) इस विनियम मे उप-विनियम (1) के प्रयोजन हेतु क्षेत्र I क्षेत्र II तथा क्षेत्र III का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

क्षेत्र I - 12 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र II - क्षेत्र I में न आने वाले ऐसे सभी शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख और उससे अधिक हो ।

क्षेत्र III - क्षेत्र I तथा क्षेत्र II में न आने वाले अन्य सभी स्थान

- (3) इस विनियम के उप-विनियम (2) तथा विनियम 23 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र I तथा क्षेत्र II का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

क्षेत्र I - 12 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र II - क्षेत्र I में न आने वाले अन्य सभी स्थान

- (v) विनियम 23 मे ,

- (क) खण्ड (i) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(i) 1.11.1999 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के कॉलम 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने कॉलम 2 में उल्लिखित दर से नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :-

स्थान 1	दर 2
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4% अधिकतम 375/रु०- प्रतिमाह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर ,जो ऊपर (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 3% अधिकतम 250/-रु० प्रतिमाह

(ख) खण्ड (5) और खण्ड (6) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(5) 1.11.1999 को और इस तारीख से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां पाने का विकल्प दे सकता है जिसपर उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो । दूसरे विकल्प के रूप में वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% और अधिकतम 1000/- रु प्रतिमाह का प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे तब मिलते जब वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया गया होता

परन्तु , यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाए जो उसी स्थान पर स्थित है , जहां प्रतिनियुक्ति से फौरन पहले वह तैनात था तो उसे उसके वेतन के 4% के बराबर और अधिकतम 500/- रु प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

परन्तु , यदि अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए , तो वह अपने मूल वेतन के 4% के बराबर और अधिकतम 500/- रु प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा " ।

(6) दिनांक 1.11.1999 को और इस तारीख से , यदि उससे एक बार कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिए या किसी एक कलैण्डर माह में कुल 7 दिन किसी उच्चतर श्रेणी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करवाया जाए , तो उसे उस अवधि के लिए , जिसमें उसने स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, यथानुपात उसके वेतनमान के 6% के बराबर भत्ता मिलेगा । स्थानापन्न भत्ते को पेंशन्स/ भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए वेतन माना जाएगा परन्तु अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

परन्तु , यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत एकमात्र पदों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आता है तो जिस तारीख को वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया जाएगा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वह स्थानापन्न भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा ।

(ग) खण्ड (10) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(10) दिनांक 1.11.1999 को और इस तारीख से , यदि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो उस सारणी के कॉलम 2 में उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता :-

स्थान 1	दर 2
i. 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा टाऊन	वेतन का 2% परन्तु अधिकतम 220/-रु
ii. 1500 मीटर और अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2 1/2% परन्तु अधिकतम 260/-रु
iii. 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% परन्तु अधिकतम 750/-रु

टिप्पणी:-

- (क) ऐसे स्थानों, जो कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैं और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों से घिरे हैं जहां पर 1000 मीटर या अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना पहुंचाना संभव न हो, पर तैनात अधिकारियों को उसी दर से पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जायेगा जो 1000 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों पर देय है।
- (ख) किसी ऐसे केंद्र पर, वर्तमान में दिया गया पहाड़ और ईंधन भत्ता समाप्त कर दिया समझा जाएगा, जो ऊपर दिए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं।

परन्तु ऐसे अधिकारी के मामले में, जो इस प्रकार के किसी केंद्र पर 1 मई, 1989 से पहले तैनात था और इस तारीख के बाद भी तैनात रहता है, 30 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त भत्ता सुरक्षित रखा जाएगा और उसी केंद्र पर एक ही वेतनमान में तैनात रहने की तारीख तक प्रतिमाह अद्य किया जाएगा।

(vi) विनियम 24 के उप-विनियम (1) में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(क) चिकित्सा व्यय :- 1.11.1999 को और उसके बाद से नीचे तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारी द्वारा अपने तथा अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकारी की ओर से दिए गए प्रमाण-पत्र कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार परन्तु नीचे कॉलम 2 में निर्धारित सीमा के अन्दर की जाएगी :-

तालिका	
श्रेणी 1	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा 2
कनिष्ठ प्रबन्ध तथा मध्यम प्रबन्ध श्रेणी	2225/- ₹0
वरिष्ठ प्रबन्ध तथा सर्वोच्च कार्यपालक श्रेणी	3000/- ₹0

(ख) टिप्पणी (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1999 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर 1999 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी "

(ग) खण्ड (ख) में पैरा (iii) के बाद निम्नलिखित पैरा सम्मिलित किया जाएगा अर्थात् :-

"(iv) 1 नवम्बर, 1999 को तथा उसके बाद से ऊपर पैरा (iii) में उल्लिखित रोगों के अतिरिक्त निम्नलिखित रोगों को भी घर पर इलाज हेतु पात्र माना जाएगा, अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी :-

हेपीटाइटिस-बी, हीमोफिलिया तथा माइस्थीनियाग्रेविस",

(vii) विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"25. **रिहायशी आवास :-** (1) कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा रिहायशी आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा ।

(2) परन्तु यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 2.5% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराए का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा । परन्तु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 0.5% के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा वसूल की जाएगी ।

परन्तु यदि ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे ।

(viii) विनियम 35 में , निम्नलिखित परन्तुक को शामिल किया जाएगा अर्थात्:

" परन्तु 29 जून, 1999 को अथवा उसके बाद लाभ उठाई गई अतिरिक्त बीमारी की छुट्टियों के मामले में अतिरिक्त बीमारी की छुट्टियों की संगणना विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार की जाएगी ।"

(ix) "36. **प्रसूति छुट्टी :-**(1) 1 अप्रैल , 2000 को तथा इस तारीख से , एक बार में 6 महीने की छुट्टी प्रसूति के रूप में प्रदान की जा सकेगी, जिसमें प्रसव पश्चात् अवधि के लिए या गर्भस्राव या गर्भपात या चिकित्सीय आधार पर गर्भ के समापन के समय की छुट्टी भी शामिल होगी ।

परन्तु अधिकारी की सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान ऐसी अधिक से अधिक 12 महीने की छुट्टी मिल सकेगी ।

(2) संतानहीन महिला कर्मचारी को एक वर्ष से कम की आयु के बच्चे को कानूनीतौर पर दत्तक ग्रहण करने के लिए सेवाकाल के दौरान एक बार छुट्टी निम्नलिखित शर्तों पर तब तक प्रदान की जा सकेगी जबतक कि बच्चा एक वर्ष का नहीं हो जाता , परन्तु छुट्टी की अवधि अधिकतम 2 माह होगी :-

(i) छुट्टी केवल एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए दी जाएगी ।

(ii) बच्चे को उपयुक्त कानूनी कार्यवाही द्वारा ग्रहण किया जाए और कर्मचारी इस प्रकार की छुट्टी मंजूर कराने के लिए दत्तक विलेख बैंक को प्रस्तुत करे ।"

(x) विनियम 41 में उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) (क) **विराम भत्ता** - 1 जून, 2001 को और उसके बाद से नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में वर्णित ग्रेड / वेतनमानों का अधिकारी कॉलम 2 में वर्णित तदनुसूची दरों से "प्रतिदिन" विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

अधिकारियों का वेतनमान / ग्रेड	प्रमुख "क" श्रेणी के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु. 275	रु. 220.	रु. 190
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	रु. 220.	रु. 190.	रु. 165

परन्तु, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण:

विराम भत्ते की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अर्थ है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

(ख) **ठहरने का खर्च** :- नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में दिए गए ग्रेड / वेतनमान के अधिकारी को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे कॉलम 2 में वर्णित भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के तदनुसूची सितारा श्रेणी के होटलों में एकल आवासीय कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता
1	2
वेतनमान VI और VII	4 * होटल
वेतनमान IV और V	3 * होटल
वेतनमान II और III	2 * होटल (गैर - वातानुकूलित)
वेतनमान I	1 * होटल (गैर - वातानुकूलित)

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

- (ग) **खान-पान का खर्च** - अधिकारी उप विनियम 4(क) में वर्णित दरों के अनुसार प्रतिदिन खाने-पीने का खर्च पाने का हकदार होगा।
- (घ) यदि ठहरने की व्यवस्था बैंक के खर्च पर या बैंक द्वारा की गई है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा।
- (ङ) यदि खाने-पीने की व्यवस्था बैंक के खर्च पर या बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा।
- (च) यदि ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था बैंक के खर्च पर या बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो एक चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा। परन्तु यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप से हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर ठहरने के खर्च का दावा करता है तो उसे एक चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- (छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर ठहरने के लिए 10/-रु प्रतिदिन का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है",
- (xi) विनियम 42 में, उप विनियम (2)(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2)(1) 1 अप्रैल, 1998 को और उसके बाद से स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमाओं तक की जाएगी :-

वेतन सीमा	यदि अधिकारी परिवार सहित है	यदि अधिकारी परिवार रहित है
रु 7100/- से 9820/रु -प्रतिमाह	3000 किलोग्राम	1500 किलोग्राम
9821/रु -प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2500 किलोग्राम

(xii) विनियम 46 के उपविनियम (2) में दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्

परन्तु यह भी कि जिस अधिकारी की सेवाएं 1.4.1998 से 31.10.1999 के दौरान समाप्त हो गई हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।"

टी. एम. भमीन, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/IV/128/2002/असा.]

पाद टिप्पणी:-

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम , 1982 में किए गए पूर्ववर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के ज़रिए किए गए हैं:-

क्र. सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1	3901	17.10.1987
2	3902	05.11.1987
3	3904	12.11.1988
4	3906	04.03.1989
5	3908	07.10.1989
6	3910	05.04.1990
7	3911	09.06.1990
8	3912	04.05.1991
9	3913	04.04.1992
10	3915	09.01.1993
11	3916	31.12.1994
12	3919	13.08.1996
13	3921	30.11.1996
14	3924	17.04.1999
15	3925	13.11.1999
16	3927	19.08.2000
17	3936	29.09.2001

ORIENTAL BANK OF COMMERCE**(Personnel Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2002

No. 3940.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Oriental Bank of Commerce (Officers' Service Regulations, 1982 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers' Service (Amendment) Regulations, 2002.
- (2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Oriental Bank of Commerce (Officers' Service Regulations, 1982, -
 - (i) in regulation 4, for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - “(3) With effect from 1st April, 1998, the scales of pay specified against each grade shall be as under :-

- (a) Top Executive Grade :

Scale VII	Rs.19340- 420 -20180- 520 -20700- 600 -21300	2	1	1
Scale VI	Rs.17660- 420 -19340	4		
- (b) Senior Management Grade :

Scale V	Rs.16140- 380 -17660	4		
Scale IV	Rs.13900- 340 -14240- 380 -16140	1	5	
- (c) Middle Management Grade :

Scale III	Rs.12540- 340 -14240- 380 -15000	5	2	
Scale II	Rs.9820- 340 -13560	11		
- (d) Junior Management Grade :

Scale I	Rs.7100- 340 -12540			
---------	--------------------------------	--	--	--

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31.3.1998 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1.4.1998 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(4) Nothing in sub-regulations (1), (2) and (3) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”;

(ii) for regulation 5, the following regulation shall be substituted namely:-

“5. **Increments** - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (3) of Regulation 4, on and from 1.4.1998, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs.340/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.380/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1.11.1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note:

Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of CAIIB/Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Part II/ Certified Associate of the Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation :

- (a) In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.
- (b) On and from 1.11.1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under:-

Those who have passed : only Part I of CAIIB	(i) Rs.100/- p.m. after one year of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed : both Parts of CAIIB	(i) Rs.100/- p.m. after one year, of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250/- p.m. after two years, of which Rs.200/- shall rank for superannuation benefits.

(c) On and from 1.11.1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :-

Those who have passed : only Part I of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed : both parts of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale (ii) Rs.300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) On and from 1.11.1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under :-

Those who have passed JAIIB or Part I of CAIIB:	(i) Rs.150/- p.m. after one year on reaching max. of the scale
Those who have passed JAIIB and CAIIB or both parts of CAIIB:	(i) Rs.150/- p.m. after one year on reaching max. of the scale (ii) Rs.360/-p.m. after two years on reaching max. of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in sub-regulation (1)(b) shall draw Professional Qualification Pay after one/two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.”

Note :

- (i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing JAIIB/CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).
 - (ii) On and from 1.11.1994 Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.
- 3(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service:

Increment Component	DA as on 1.11.1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) On and from 1st November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as given hereunder :-

Increment Component	DA as on 1.11.1997	Total F.P.P. payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (c) in clause (b) and (c) shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.
 - (ii) Fixed Personal Allowance./Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of Regulation 4 is earned.
 - (iii) On and from 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) under sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay.

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st November, 1999 it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on 1st November, 2000.
 - (iv) The increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (d) An officer who has earned the advance increment as in (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in (b) or (c) above, one year after reaching the maximum of the scale.”;

(iii) In regulation 21, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) On and from 1.4.1998, Dearness Allowance Scheme shall be as under :-

(a) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(b) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.24% of ‘pay’ upto Rs.7100/- plus,

(ii) 0.20% of ‘pay’ above Rs.7100/- to Rs.11300/- plus,

(iii) 0.12% of ‘pay’ above Rs.11300/- to Rs.12025/- plus,

(iv) 0.06% of ‘pay’ above Rs.12025/-

Note:

(A) ‘Pay’ for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance/Professional Qualification Pay as specified in Explanation (c) and (d) to sub-regulation (2) of Regulation 5 shall rank for dearness allowance.”;

(iv) for Regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely,

“22. **House Rent Allowance.** - (1)(a) -On and from 1st November, 1994 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1992 for House Rent Allowance at the following rates:-

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10 1/2% of the pay p.m.
(iv) Area III	9 1/2% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above, whichever is lower.

(2)(a) On and from 1st November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

- (b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1999 for House Rent Allowance at the following rates:-

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	9% of the pay p.m.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay p.m.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above, whichever is lower.

Note (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(ii) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from 1.11.1994.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (1)(b) and 2(b) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below:-

A

The aggregate of :-

- i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation .- (1) For the purpose of this Regulation “standard rent” means :-

- (a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:
 - (b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (A) above, whichever is lower.
- (2) In this Regulation, for the purpose of sub-regulation (1), Area I, Area II, and Area III shall mean as under:-
- | | | |
|----------|---|---|
| Area I | - | Places with a population of more than 12 lakhs. |
| Area II | - | All Cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh or more. |
| Area III | - | All places not included in Area I and Area II. |

(3) For the purpose of sub-regulation (2) of this Regulation and Regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs

Area II - All places not included in Area - I.”;

(v) in regulation 23,

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-

“(i) On and from 1.11.1999, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable :-

Places 1	Rates 2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.375/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.250/- per month.

(b) for clause (v) and (vi), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(v) on and from 1.11.1999, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay draw a deputation allowance of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall received a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.500/- per month.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at 4% of his pay subject to a maximum Rs.500/-per month.”;

(vi) On and from 1.11.1999 if he is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay , pro-rata for the period for which he officiates. Officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund/ Pension and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.”;

(c) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely :-

“(x) On and from 1.11.1999, if the officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, he shall receive a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof:-

Place 1	Rate 2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.220/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.260/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.750/-

Note :-

- (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.
- (b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn.

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as at 30th April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.”;

(vi) in Regulation 24, in sub-regulation (1),-

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) **Medical Expenses.**- On and from 1.11.1999 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof:-

Table	
Grade 1	Reimbursement limit p.a. 2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.2225/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.3000/-

(B) for Note (ii), the following note shall be substituted, namely :-

“(ii) For the year 1999 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1999.”;

(C) in clause (b), after para (iii) the following para shall be inserted namely:-

“(iv) On and from 1st November, 1999 in addition to diseases mentioned in para (iii) above, the following diseases shall also become eligible for domiciliary treatment, other conditions remaining unchanged:-

Hepatitis-B, Haemophilia and Myaestheniagravis.”;

(vii) for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

“25. **Residential Accommodation.**- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from 1st November, 1999, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.5% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”;

(viii) in regulation 35, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of additional sick leave availed on or after 29th June, 1999 commutation of additional sick leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of Regulation 34.”;

(ix) for Regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely:-

“36. **Maternity Leave.**- (1) On and from 1st day of April, 2000, leave upto a period of 6 months at a time may be granted by way of Maternity Leave including in respect of post-natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy :

Provided that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of the officer.

(2) Leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child which is below one year of age till it reaches the age of one year, subject to a maximum period of two months on the following terms and conditions:-

(i) Leave will be granted for adoption of only one child.

(ii) The adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.”;

(x) in regulation 41, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4)(a) **Halting Allowance.**- On and from 1st day of June, 2001 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column 2 thereof :

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV & above	Rs. 275.00	Rs. 220.00	Rs. 190.00
Officers in Scale I/II/III	220.00	190.00	165.00

Provided that where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation :

For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

- (b) **Lodging Expenses.**- An officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC hotels of the corresponding star category set out in column 2 below:

Grades/Scales of officers 1	Eligibility to stay 2
Scale VI & VII	4* Hotel
Scale IV & V	3* Hotel
Scale II & III	2* Hotel (Non AC)
Scale I	1* Hotel (Non-AC)

The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed above in accordance with the guidelines of the Government.

- (c) **Boarding Expenses :-** An officer shall be entitled to per diem boarding expenses at the rates set out in sub-regulation 4 (a) above.
- (d) Where lodging is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.
- (e) Where boarding is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.
- (f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible:
Provided that, in the case of an officer claiming boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.
- (g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.”;

(xi) in regulation 42, for sub-regulation (2)(i), the following shall be substituted, namely:-

“(2)(i) On and from the 1st day of April, 1998 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :-

Pay Range	where an officer has family	where an officer has no family
Rs. 7100 per month to Rs. 9820 per month	3000 kgs	1500 kgs
Rs. 9821 per month and above	Full wagon	2500 kgs.

(xii) in regulation 46, in sub-regulation (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that pay for the purpose of Gratuity of an officer who ceased to be in service during the period 1.4.1998 to 31.10.1999 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4.”.

T. M. BHASIN, Dy. General Manager (Per.)

[ADVT-III/IV/128/2002/Exty.]

Foot Note :-

The amendments carried out earlier in the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982 were published in the Gazette of India vide notifications as under :-

Sl.No.	Notification No.	Dated
1.	3901	17.10.1987
2.	3902	05.11.1987
3.	3904	12.11.1988
4.	3906	04.03.1989
5.	3908	07.10.1989
6.	3910	05.04.1990
7.	3911	09.06.1990
8.	3912	04.05.1991
9.	3913	04.04.1992
10.	3915	09.01.1993
11.	3916	31.12.1994
12.	3919	13.08.1996
13.	3921	30.11.1996
14.	3924	17.04.1999
15.	3925	13.11.1999
16.	3927	19.08.2000
17.	3936	29.09.2001

